रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/बैशाख 4, 1934
No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISHAKHA 4, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सं. भा.आ.प.-18(1)/2011-मेडि./67352.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2012 (भाग– I)" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2011" के खण्ड 12(1) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

प्रोफेसर के लिये मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक व डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:2 होगा, जहाँ डिप्लोमा निर्धारित नहीं है तथा अन्य संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रतिवर्ष प्रत्येक युनिट में अधिकतम 5 स्नातकोत्तर सीटें डिग्री के लिए जो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में होंगी बशर्ते कि जिसमें ब्रॉड स्पेशिलिटी के लिए निर्धारित 30 बिस्तर की क्षमता के साथ 10 शिक्षण बिस्तर को जोडा जाएगा।

और संचेतनाहरण विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन तथा रेडियोथेरेपी की स्थिति में प्रोफेसर के लिये मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक व डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:3 होगा जहाँ डिप्लोमा निर्धारित नहीं है तथा अन्य संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रतिवर्ष प्रत्येक युनिट में अधिकतम 6 स्नातकोत्तर सीटें डिग्री के लिए जो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में होंगी।

"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2011" के खण्ड 12(2) में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जायेगा:

प्रोफेसर के लिये मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक व ब्रॉड स्पेशिलिटी में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:2 होगा जहाँ डिप्लोमा निर्धारित है तथा अन्य संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रतिवर्ष प्रत्येक युनिट में अधिकतम 5 सीटें स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिप्लोमा भी सम्मिलित है, के जो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में होंगी परंतु इसमें निर्धारित 30 बिस्तर की क्षमता के साथ 10 शिक्षण बिस्तर को जोडा जाएगा।

और संचेतनाहरण विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन तथा रेडियोथेरेपी की स्थिति में जहाँ प्रोफेसर के लिये मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक व डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:3 होगा, जहाँ डिप्लोमा निर्धारित है तथा अन्य संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रतिवर्ष प्रत्येक युनिट में अधिकतम 6 सीटें स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें डिप्लोमा भी सम्मिलित हैं, जो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में होंगी।

"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2011" के खण्ड 12(3) में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जायेगा:

मूल अथवा पैरा-नैदानिक विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के मामलों में युनिट तथा बिस्तरों की अपेक्षा लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि किसी अन्य निकाय जैसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कॉलेज ऑफ फिजीशियन्स एंड सर्जन्स इत्यादि के अंतर्गत उसी युनिट में शिक्षण कर्मी तथा संरचना, अन्य स्नातकोत्तर पाठयक्रम अनुमेय नहीं है।

बशर्ते कि इकाई में 10 बिस्तर प्रति सीट का अतिरिक्त अनुपूरण केवल तभी लागू किया जाएगा जब किसी प्रोफेसर के मामले में उच्चतर अध्यापकों और छात्रों के 1:2 के अनुपात द्वारा आबंटन के परिणामस्वरूप, इकाई में डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 5 स्नातकोत्तर सीटें प्रदान की गई हों और यह स्पष्ट किया गया हो कि वर्तमान विनियमावली में यथानिर्धारित 30 बिस्तर प्रति इकाई की संख्या, डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कुल 3 स्नातकोत्तर सीटों तक उपयुक्त मानी जाएगी।

"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2011" के खण्ड 12(4) में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जायेगा:

प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के लिये स्नातकोत्तर शिक्षक व सुपर स्पेशिलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:2 होगा तथा शेष संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल

नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में अधिकतम 5 स्नातकोत्तर सीटें होंगी बशर्ते जिसमें निर्धारित 20 बिस्तर की क्षमता के साथ 10 शिक्षण बिस्तर को जोडा जाएगा। वर्तमान विनियमावली में यथानिर्धारित 20 बिस्तर प्रति इकाई की संख्या, डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रमों में कुल 4 स्नातकोत्तर सीटों तक उपयुक्त मानी जाएगी।

और मेडिकल ऑनकॉलॉजी तथा सर्जिकल ऑनकॉलॉजी पूर्ण समर्पित विभाग के मामले में प्रोफेसर के लिये स्नातकोत्तर शिक्षक व प्रवेशित छात्रों का अनुपात 1:3 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिये 1:2 होगा तथा शेष संवर्ग में 1:1 होगा, जो आगे दिये गये जनरल नोट के द्वारा इसके अंतर्गत आते हैं । इनमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक युनिट में अधिकतम 6 स्नातकोत्तर डिग्री सीटें होंगी परंतु इसमें सुपर स्पेशिलिटी की प्रत्येक युनिट के लिए 30 बिस्तर की क्षमता निर्धारित की गई है।

बशर्ते कि किसी अन्य निकाय जैसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कॉलेज ऑफ फिजीशियन्स एंड सर्जन्स इत्यादि के अंतर्गत उसी युनिट में शिक्षण कर्मी तथा संरचना, अन्य स्नातकोत्तर पाठयक्रम अनुमेय नहीं है।

खण्ड 12 में उप-खण्ड 12(1), 12(2), 12(3) और 12(4) में निम्नलिखित को जोडा जायेगा:-

<u>जनरल नोट:</u>

"<u>एसोसिएट प्रोफेसर हेतु:-</u> यदि कोई एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर पद के लिये "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में दिये गये पात्रता मानदंड को पूरा करता है और "स्नांतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) के अनुसार स्नातकोतर शिक्षक की अपेक्षा को पूर्ण करता हो, किंतु सरकारी संस्थान में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु प्रशासनिक रुप से उस पद की अनुपलब्धता अथवा उसे भरने में देरी हो तो यदि वह उसी सरकारी संस्थान में कार्यरत रहता/ रहती हो, तो उस स्नातकोत्तर शिक्षक को 2(दो) स्नातकोत्तर छात्र आबंटित किये जायेंगे।

"<u>सहायक प्रोफेसर हेतु:-</u> यदि कोई सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिये "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में दिये गये पात्रता मानदंड को पूरा करता है और "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) के अनुसार स्नातकोतर शिक्षक की अपेक्षा को पूर्ण करता हो, किंतु सरकारी संस्थान में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु प्रशासनिक रुप से उस पद की अनुपलब्धता अथवा उसे भरने में देरी हो तो यदि वह उसी सरकारी संस्थान में कार्यरत रहता/ रहती हो, तो उस स्नातकोत्तर शिक्षक को 1 (एक) स्नातकोत्तर छात्र आबंटित किया जायेगा।

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

<u>पाद टिप्पणी</u> : प्रधान नियमावली नामतः **"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000"** दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के गजट के भाग–III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005, 23.03.2006, 20.10.2008, 25.03.2009, 21.07.2009, 17.11.2009, 09.12.2009 और 16.04.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2012

No. MCI-18(1)/2011-Med./67352.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

1\. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2012"

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2\. In the 'Postgraduate Medical Education Regulations, 2011" clause 12(1) shall be substituted as follows:

The ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course where diploma is not prescribed shall be 1:2 for a Professor and 1:1 for other cadre covered by the general note following this rule in each unit per year subject to a maximum of 5 PG seats for the degree per unit per academic year provided a complement of 10 teaching beds is added to the prescribed bed strength of 30 for the unit for broad specialties.

Further in case of Anesthesiology, Forensic Medicine and Radiotherapy where the ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course where diploma is not prescribed shall be 1:3 for a Professor and 1:1 for other cadre covered by the general note following this rule subject to a maximum of 6 PG seats for the degree per academic year.

In the 'Postgraduate Medical Education Regulations, 2011" clause 12(2) shall be substituted as follows:

The ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course in broad specialties where diploma is prescribed shall be 1:2 for a Professor and 1:1 for other cadre covered by the general note in each unit per year subject to a maximum of 5 PG seats including diploma per unit per academic year provided a complement of 10 teaching beds is added to the prescribed bed strength of 30 for the unit.

Further in case of Anesthesiology, Forensic Medicine and Radiotherapy where the ratio of recognized postgraduate teacher to the number of students to be admitted for the degree course where diploma is prescribed shall be 1:3 for a Professor and 1:1 for other cadre covered by the general note following this rule subject to a maximum of 6 PG seats including diploma seats per academic year.

In the 'Postgraduate Medical Education Regulations, 2011" clause 12(3) shall be substituted as follows:

The requirement of units and beds shall not apply in the case of Postgraduate degree or diploma courses in Basic and para-clinical departments.

Provided that against the very same units, teaching personnel and infrastructure, no other postgraduate courses under any other body like National Board of Examinations, College of Physicians & Surgeons etc. are permitted.

Provided that the additional complement of 10 beds in the unit is to be made applicable only when the allocation by higher teachers students ratio of 1:2 in the case of a Professor results in awarding 5 postgraduate seats in degree/diploma courses in the unit, further clarifying that the strength of 30 beds per unit as prescribed in the present regulations will be considered adequate upto total 3 postgraduate seats in degree/diploma courses."

In the 'Postgraduate Medical Education Regulations, 2011" clause 12(4) shall be substituted as follows:

The ratio of PG teacher to the number of students to be admitted for super specialties course shall be 1:2 for Professor/Assoc. Professor and 1:1 for remaining cadre covered by the general note following this rule in each unit per year subject to a maximum of 5 PG seats for the course per unit per academic year provided the complement of 10 teaching beds per seat is added to the prescribed bed strength of 20 for the unit. The Strength of 20 beds per unit as prescribed in the present regulations, will be considered adequate upto total 4 postgraduate seats in D.M./M.Ch. courses.

Further in case of full fledged dedicated departments of medical oncology and surgical oncology the ratio of PG teacher to the number of students to be admitted shall be 1:3 for Professor, for Assoc. Professor 1:2 and 1:1 for remaining cadre covered by the general note following this rule in each unit per year subject to a maximum of 6 PG seats for the degree per unit per academic year provided a bed strength of 30 for the unit for super specialties.

Provided that against the very same units, teaching personnel and infrastructure, no other postgraduate courses under any other body like National Board of Examinations, College of Physicians & Surgeons etc. are permitted.

1446 GI/12-2

In Clause 12, the following shall be inserted after Sub-Clause 12(1), 12(2), 12(3) and 12(4):

General Note :

"For Associate Professor :- *If an Associate Professor fulfills all the eligibility criteria for the post of Professor as laid down in the Medical Council of India Regulations namely "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", and fulfils all the requirement of postgraduate teacher as per Postgraduate Medical Education Regulations (Amendment) but has not been promoted to the higher post due to administrative non-availability of post or delay in filling up of post in the Govt. organization if he/she continues to work at the same government organization then such postgraduate teacher shall be allotted 2 (two) postgraduate students".*

"For Assistant Professor:- *If an Assistant Professor fulfills all the eligibility criteria for the post of Associate Professor as laid down in the Medical Council of India Regulations namely "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", and fulfills all the requirement of Postgraduate teacher as per the Postgraduate Medical Education Regulations (Amendment), but has not been promoted to the higher post due to administrative non-availability of post or delay in filling up of post in the Govt. organization, if he/she continues to work at the same government organization then such postgraduate teacher shall be allotted 1 (one) postgraduate student."*

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended vide MCI notification dated 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005, 23.03.2006, 20.10.2008, 25.03.2009, 21.07.2009, 17.11.2009, 09.12.2009 & 16.04.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/बैशाख 4, 1934
No. 96] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISHAKHA 4, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

सं. भा.आ.प.-18(1)/2011-मेडि./67349.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2012 भाग– I" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

खण्ड ग में शीर्षक डी एम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) के अंतर्गत डी एम (जेरियाट्रिक मानसिक स्वास्थ्य) के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

डी एम (पीडियाट्रिक्स एवं निओनेटल एनीस्थीसिया)

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः **"स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000"** दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के गजट के भाग–III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 03.03.2001, 06.10.2001, 16.03.2005, 23.03.2006, 20.10.2008, 25.03.2009, 21.07.2009, 06.10.2009, 17.11.2009, 09.12.2009, 16.04.2010 और 08.12.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2012

No. MCI-18(1)/2011-Med./67349.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

(1) (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2012 (Part-I)".

(ii) They shall come into force form the date of their publication in the official Gazette.

In clause C under the heading DM(Doctor of Medicine), the following shall be added after Geriatrics Mental Health:-

DM(Paediatrics and Neonatal Anaesthesia)

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note:- The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part - III, Section (4) of the Gazette of India on the 7th Oct, 2000 and amended vide Medical Council of India notification dated 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 06/10/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010 and 08/12/2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.